भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पातल, नई दिल्ली में **"फार्मेसिस्ट"** के लिए भर्ती नियमों के मसौदे पर सार्वजनिक सूचना.

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी क े दिनांक 13.10.2015 क े का.ज्ञा. सं. एबी.14017/61/2008- स्थापना (आरआर) के अनुपालन में, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पातल, नई दिल्ली में **"फार्मेसिस्ट"** पद के लिए भर्ती नियम संलग्न है।

भर्ती नियमों के मसोदे पर कोई भी आपत्तिधारक, यदि वे चाहे तो, टिप्पणियाँ अथवा सुझाव, भर्ती नियमो के मसौदे के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर अनुभाग अधिकारी (एम.एच.–II) कमरा सं 405 ए, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110108 को लिखित रूप में भेज सकते हैं या medicalhospital61@gmail.com पर ई- मेल कर सकते हैं।

अभिषेक पाण्डेय

(अभिषेक पाण्डेय)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष-23061203

(अभिषेक पाण्डेय)
(ABHISHEK PANDEY)
अवर सचिव/Under Secretary
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
Ministry of Health & Family Welfare.
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

नई दिल्ली

दिनांक :

[भारत के राजपत्र, भाग-2, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, तारीख ,2024

अधिसूचना

सा.का.नि. .... - राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली फार्मेसिस्ट भर्ती नियम, 2019 को, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, में फार्मेसिस्ट के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** - (1) इन नियमों का नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, फार्मेसिस्ट (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2024 है ।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर** – उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि** - उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता**: वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्तिः** जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या

समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति**: इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन या अचयन पद।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
फार्मेसिस्ट	11*(2024) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29200- 92300/- रुपये)। (प्रविष्टि श्रेणी में सेवा के दो वर्ष पूरा होने पर, सभी पदधारियों को अगली उच्चतर श्रेणी में गैर-प्रकार्यात्मक श्रेणी प्रदान की जाएगी।)	लागू नहीं होता।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।
(6)	(7)	(8)
18 से 27 वर्ष के बीच। (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)	अनिवार्य: (i) भारतीय फार्मेसी परिषद द्वारा अनुमोदित किसी विश्वविद्यालय या संस्थान से फार्मेसी पाठ्यक्रम (विज्ञान विषय सहित 10 + 2 के पश्चात दो वर्ष और पांच सौ घंटे का व्यावहारिक प्रशिक्षण) में डिप्लोमा ; **या** भारतीय फार्मेसी परिषद द्वारा अनुमोदित किसी	लागू नहीं होता।

टिप्पण 1: आयु सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी और न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के लाहौल और स्पीति जिले एवं पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के लिए विहित की गई है।	विश्वविद्यालय या संस्थान से फार्मेसी पाठ्यक्रम (विज्ञान विषय सहित 10 + 2 के पश्चात चार वर्ष का पाठ्यक्रम) में स्नातक ; या भारतीय फार्मेसी परिषद द्वारा अनुमोदित किसी विश्वविद्यालय या संस्थान से फार्म डी (विज्ञान विषय सहित 10 + 2 के पश्चात छ: वर्ष का पाठ्यक्रम) (ii) राज्य फार्मेसी परिषद से रजिस्ट्रीकरण। टिप्पण 1: अर्हता (अर्हताएं) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं), कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं, जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी या कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं हैं।	

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
दो वर्ष।	सीधी भर्ती।	लागू नहीं होता।	विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार	संघ लोक सेवा आयोग

(परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा विहित कम-से-कम दो सप्ताह का प्रवेश प्रशिक्षण पूरा करना अनिवार्य होगा।)	टिप्पण: पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थिति मे एक वर्ष या इस से अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां, केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों मे से प्रतिनियुक्ति आधार पर भरी जा सकेगीं। : (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रु0) में पदों पर पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; तथा (ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव रखते हैं।		करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे: 1. प्रधानाचार्य, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली-अध्यक्ष; 2 . संबंधित विभाग के प्रमुख, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली - सदस्य; 3 . निदेशक या उप निदेशक (संबंधित), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय- सदस्य; 4 . उप निदेशक (प्रशासन), लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली - सदस्य।	से परामर्श आवश्यक नहीं हैं।

[फा. सं. A.11018/20/2024–एमएच.II]

अभिषेक पाण्डेय

(अभिषेक पांडे)

अवर

सचिव, भारत सरकार